

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-०७/स्था० (विविध)-०८-८९/२०१५, परि०

पटना, दिनांक-

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ५(१)(२)(१) के अन्तर्गत श्री राम किशोर मिश्र, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (प्रभारी राज्य परिवहन आयुक्त) को परिवहन विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय के लोक सूचना पदाधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया जाता है।

२. पूर्व में निर्गत एतद्संबंधी विभागीय आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी परिवार, फुलपारी शरीफ, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

6662

पटना, दिनांक-१५/११/१६

प्रतिलिपि- अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी (मुख्यालय), परिवहन विभाग/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/अवर निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

३०/११/१६

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-07/स्था० (विविध)-08-89/2015, परि०

पटना, दिनांक-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1)(2)(1) के अन्तर्गत श्री राम किशोर मिश्र, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (प्रभारी राज्य परिवहन आयुक्त) को परिवहन विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय के लोक सूचना पदाधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया जाता है।

2. पूर्व में निर्गत एतद्संबंधी विभागीय आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 14/11/16

ज्ञापांक-

6662

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, दाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

E-mail

30/11/16

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।